



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, रविवार, 25 जनवरी, 2026

माघ 5, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1/ग्यारह-2-26-9(42)-17-टी०सी०-76-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश (368)-2026

लखनऊ, 25 जनवरी, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०-6

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सत्तरवां संशोधन) संक्षिप्त नाम और
नियमावली, 2026 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दिनांक 1 फरवरी, 2026 से
प्रवृत्त समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली नियम 31घ का
कहा गया है) में, नियम 31ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- बढ़ाया जाना

“31घ-खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की पूर्ति का मूल्य:-

(1) इस अध्याय के उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल, जो सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र०सं०	अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2106 90 20	पान मसाला
2	2401	अवनिर्मित तंबाकू ; तंबाकू उच्छिष्ट (तंबाकू के पत्तों से भिन्न)
3	2402	सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के अनुकल्प
4	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू अनुकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू ; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी से भिन्न)
5	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन अनुकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य x लागू करों की प्रतिशत कर दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)

स्पष्टीकरण:-इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

(क) "लागू कर" का तात्पर्य यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवा कर (आइ०जी०एस०टी०) या केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी०जी०एस०टी०) या राज्य माल और सेवा कर (एस०जी०एस०टी०) या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू०टी०जी०एस०टी०) से है;

(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं;

(ग) जहां किसी माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;

(घ) जहां किसी माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को पूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य को खुदरा विक्रय मूल्य समझा जाएगा;

(ङ) जहां किसी माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य सम्बंधित है।"

(3) उक्त नियमावली में, नियम 86ख में, प्रथम परंतुक में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

नियम 86ख का संशोधन

“(च) निर्माता के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31घ के अधीन विनिर्दिष्ट माल के सम्बंध में होगी, जिस पर खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर संदत्त किया गया है,”

आज्ञा से,
कामिनी चौहान रतन,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1 / XI-2-26-9(42)-17-T.C.-76-U.P.GST Rules-2017-Order(368)-2026, dated January 25, 2026 :

No. 1 / XI-2-26-9(42)-17-T.C.-76-U.P.GST Rules-2017-Order(368)-2026

Dated Lucknow, January 25, 2025

IN exercise of the powers conferred by Section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules with a view to further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: –

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SEVENTIETH AMENDMENT) RULES, 2026

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Seventieth Amendment) Rules, 2026. Short title and commencement

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 1st day of February, 2026.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the "said rules"), *after* rule 31C, the following rule shall be inserted, namely: - Insertion of rule 31D

"31D. Value of supply of goods on basis of retail sale price—

(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value of goods bearing the description specified in column (3), falling under Chapter, heading, sub-heading or tariff item specified in column (2), of the Table below, shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods, less the amount of tax as applicable, namely:—

TABLE

Sl. No.	Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1	2106 90 20	Pan masala
2	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse (other than tobacco leaves)
3	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Sl. No.	Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
4	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

(2) The amount of applicable tax referred to in sub-rule (1) shall be determined in the following manner, namely:—

Tax amount = (Retail sale price x tax rate in % of applicable taxes)/(100 + sum of applicable tax rate).

Explanation:— For the purposes of this rule,—

(a) "applicable tax" means IGST or CGST or SGST or UTGST as the case may be;

(b) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess by whatever name called;

(c) where on the package of any goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d) where the retail sale price declared on packages of any goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(e) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any goods in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates."

Amendment of
rule 86B

3. In the said rules, in rule 86B, in the first proviso, *after* clause (e), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(f) the registered person other than a manufacturer shall be exempted from the provisions of this rule only in respect of goods specified under Rule 31D, on which the tax has been paid on the basis of retail sale price:"

By order,
KAMINI CHAUHAN RATAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 352 राजपत्र-2026-(1048)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 24 सा० राज्य कर-2026-(1049)-500+500=1000 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।